

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(3)नविदि/3/80 पार्ट-II

जयपुर, दिनांक

- 3 OCT 2023


संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम-4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10(3)नविदि/3/80 पार्ट-II दिनांक 10.06.2021 के द्वारा कोटा मास्टर प्लान-2031 को अनुमोदित किया जाकर जारी किया गया था।

नगर विकास न्यास, कोटा के प्रस्तावानुसार कोटा मास्टर प्लान-2031 के भू-उपयोग एवं सडकों के मार्गाधिकार में प्रस्तावित संशोधनों का राजस्थान नगर सुधान अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अनुसरण में कोटा मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।


उक्त कोटा मास्टर प्लान-2031 में किये गये संशोधनों का अदलोकन नगर विकास न्यास, कोटा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से


(जुगल किशोर मीणा)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, कोटा।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
9. आयुक्त, नगर निगम कोटा(उत्तर/दक्षिण)।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक _____ में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय